**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**28.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1911 का उत्‍तर**

**साइबर अपराधों से निपटने में रेलवे के सतर्कता निदेशालय की विशेषज्ञता**

**1911. श्री अमर शंकर साबलेः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सतर्कता निदेशालय के पास साइबर अपराधों से निबटने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सतर्कता निदेशालय को रेलवे की सॉफ्टवेयर संबंधी हेराफेरी ई-निविदाकरण और ई-नीलामी प्रणाली से जुड़े साइबर अपराधों से निपटने में सक्षम बनाने और उसे पूर्णतः सुरक्षित करने हेतु आवश्यक अवसंरचना और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): रेल अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार सतर्कता निदेशालय साइबर अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना की कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा, यदि बाहरी एजेंसियों द्वारा सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से जुड़े मामले सामने आते हैं, तो उन्हें मामले के गंभीरता के आधार पर सीबीआई जैसी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस), जो भारतीय रेल की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा है, ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर साइबर खतरों की निगरानी के लिए नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित किया है। सूचना सुरक्षा समूह (आईएसजी) के माध्यम से क्रिस अपने आईटी अनुप्रयोगों की आंतरिक सुरक्षा की लेखा परीक्षा भी कर रहा है। साइबर हमलों की निगरानी करने और उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे इकाइयों पर मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारियों को नामित किया है।

\*\*\*\*\*\*